न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/164

शंकरलाल पुत्र कृष्ण चन्द्र निवासी देवली, तहसील कनवास जिला कोटा राज0

––अपीलांट

बनाम

1. कृष्णा यादव पुत्र हेमनारायण यादव नाबालिग जरिये वली माता चित्ररूपा यादव पत्नी हेमनारायण निवासी द्वारा दिलीप लोधा काली माता मन्दिर घुमचक्कर खेड़ली फाटक कोटा जिला कोटा राज0
2. हेमनारायण पुत्र शंकरलाल
3. दिनेश पुत्र शंकरलाल
   निवासीगण देवली तहसील कनवास जिला कोटा राज0
4. सावित्री बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी रामजीवन उर्फ राजेश निवासी खेड़ली कन्दाफल, तहसील कनवास जिला कोटा राज0।
5. सुमन बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी बलराम निवासी ओमकारपुरा बून्दी जिला बून्दी राज0।
6. बृजेश बाई पुत्री शंकरलाल पत्नी राजेश निवासी–1–के–एस, नारायण प्रेक्टिकल लेब, कॉमर्स कॉलेज रोड, तलवण्डी कोटा राज0।,
7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री शिवनारायण भारद्वाज, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आरे से।

निर्णय दिनांकः 18.02.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 02/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के दादा प्रतिवादी नं० 1 के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम देवली तहसील कनवास

जिला कोटा में निम्न विवरण की भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 सलंग्न है। खसरा नम्बर 202/1105 की 1.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 467 की 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 493 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 496 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 631 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 632 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 910 की 0,20 हेक्टर, खसरा नम्बर 913/1106 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1068/1107 की 1.24 हेक्टर, कुल 9 किता की 5.04 हेक्टर भूमि स्थित है। प्रतिवादी नं0 1 वादी के दादा व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 के पिता है तथा प्रतिवादी नं0 2 वादी का पिता है। प्रतिवादी नं0 2 का विवाह वादी की माता श्रीमती चित्ररूपा के साथ दिनांक 20–5–2013 को हिन्दू रिति रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था और प्रतिवादी नं0 2 के नुत्फे से चित्ररूपा ने वादी को जन्म दिया । इस प्रकार वादी प्रतिवादी नं0 2 का पुत्र व प्रतिवादी नं० 1 का पौत्र है। इस कारण उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण नं० 1 ता 6 की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का जन्म से ही हक व हिस्सा तथा अधिकार है। उपरोक्त भूमि पुश्तेनी भूमि है। जो प्रतिवादी नं० 1 को उनके पिता से प्राप्त हुई है यानी वादी के पडदादा की भूमि है जिसमें वादी का जन्म से अधिकार है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 6 का बराबर बराबर हिस्सा यानी 1/7, 1/7 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ही शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 2 का 1/7 हिस्सा है तथा वादी का प्रतिवादी नं0 2 के 1/7 हिस्से में से 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी नं0 2 ने वादी व उसकी माता का परित्याग कर रखा है और प्रतिवादी नं0 2 वादी का भरण पोषण नहीं कर रहा है ओर वादी को पुश्तैनी भूमि से वंचित कर रखा है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नं० 1 के साथ प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का बराबर हिस्सा है यानी प्रतिवादी नं0 2 का 1/7 हिस्सा है तथा वादी, प्रतिवादी नं0 2 के साथ 1/7 हिस्से के खातेदार है इस कारण वादी अपने 1/2 हिस्से की यानी सम्पूर्ण आराजी में 1/14 हिस्से की भूमि प्राप्त करने व 1/14 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है तथा वादी अपने 1/14 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के मध्य विभाजन करा कर अलग खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण लडाकू झगडालू किस्म के परिवार के सदस्य है ओर उपरोक्त भूमियों में से प्रतिवादी नं० 1 प्रतिवादी नं0 2 को उसके हिस्से की भूमि से महरूम कर देना चाहता है। ताकि वादी अपने हिस्से की भूनि प्राप्त नहीं कर सके इस कारण वादी ने प्रतिवादी नं० 1 को उपरोक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का नाम प्रतिवादी नं० 1 के साथ अंकित कराने तथा उक्त भूमि को रहन वेचान नहीं करने को दिनांक 25–8–2016 को कहा तो प्रतिवादी गण ने भूमि देने से इन्कार कर दिया ओर शीघ्र ही उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व रहन बेचान करने की धमकी दी। प्रतिवादी नं० 1 ने उक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 2 ता 6 के साथ बराबर बराबर हिस्से से यानी प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का व वादी को प्रतिवादी नं0 2 के साथ बरबर हिस्से का यानी वादी को 1/14 हिररो का खातेदार घोषित नहीं किया गया व वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का नाम खाते में दर्ज नहीं किया गया और प्रतिवादी नं० 1 अन्य प्रतिवादीगण की गदद से गलत रूप से भूमियों को बेचान कर दिया गया तो वादी को अपार क्षति होगी वादी अपने अधिकारों व साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी व दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आवश्यक हो गया है।कि दी स्टेट ओफ राजस्थान भूमि की लेन्ड हॉल्डर होने से प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसे बतोर प्रतिवादी नं0 7 पक्षकार बना कर यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी नं0 2 ता 6 प्रतिवादी नं० 1 की संतान है जिनका भी बराबर हिस्सा है इस कारण उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में मामला अर्जेन्ट नेचर एंव इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी नं. 7 को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिये जाने की सूरत में दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा। अतः धारा 80 उप धारा (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिवादी को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिये जाने से एक्जम्पशन फरमाया जावे तथा बिना नोटिस दिये ही दावा प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान फरमाई जावे। नोटिस नहीं दिया गया है ओर बिना नोटिस दिये धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी के आवेदन के साथ यह वाद प्रस्तुत है। वाद कारण प्रतिवादी नं० 1 द्वारा उपरोक्त वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम प्रतिवादीगण के साथ बराबर बराबर हिस्से से दर्ज नहीं कराने पर एंव तथा वादी की उक्त पुश्तैनी भूमि को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द करने की दिनांक 25–8–2016 को धमकी देने पर पैदा हुआ । अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– कि ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नम्बर 202/1105 की 1.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 467 की 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 493 की 0–68 हेक्टर, खसरा नम्बर 496 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 631 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 632 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 910 की 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 913/1106 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1068/1107 की 1.24 हेक्टर कुल 9 किता की 5.04 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी नं0 2 ता 6 को प्रतिवादी नं० 1 के साथ बराबर बराबर 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावे। एंव वादी का नाम प्रतिवादी नं० 2 के साथ अंकित किया जाकर प्रतिवादी नं0 2 के 1/7 हिस्से में से 1/2 यानी कुल भूमि के 1/14 हिस्से की भूमि का वादी को खातदार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 6 का नाम प्रतिवादी नं० 1 के साथ दर्ज किये जाने की डिक्री व निर्णय पारित किया जावे। साथ ही वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के विरूद्ध एक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नम्बर 202/1105 की 1.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 467 की 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 493 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 496 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 631 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 632 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 910 की 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 913/1106 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1068/1107 की 1.24 हेक्टर कुल नो किता की 5.04 हेक्टर भूमि के 1/7 हिस्से को तथा उसके किसी भाग को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द नहीं करे ओर उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर ना ही अपने एजेन्ट से ही करवाये। साथ ही ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नम्बर 202/1105 की 1.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 467 की 0.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 493 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 496 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 631 की 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 632 की 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 910 की 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 913/1106 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1068/1107 की 1.24 हेक्टर कुल नो किता की 5.04 हेक्टर भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/14 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने व दखल दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान

की जावे। प्रतिवादी नं0 7 को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे। वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2024 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी नं. 1 "आया ग्राम देवली तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नम्बर 202/1105 की 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 467 की 0.97 हैक्टर, खसरा नं. 493 की 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 496 की 0.16 हैक्टर, खसरा नं. 631 की 0.16 हैक्टर, खसरा नं. 632 की 0.04, खसरा नम्बर 910 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1068/1107 की 1.24 हैक्टेयर कुल 9 किता की 5.04 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/14 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने व दखल दिलाये जाने की डिक्री पारित करवाने का अधिकारी हैं।" को वादी को पक्ष में तय करने में कानूनी त्रुटि की हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुश्तैनी सम्पत्ति के कन्सेप्ट को समझने में एवं प्रस्तुत प्रकरण में एप्लाई करने में कानूनी त्रुटि की हैं। इस कारण तनकी नं. 1 पर दी गई फाईण्डिग अपास्त होने योग्य हैं, क्योंकि विधि में पुश्तैनी सम्पत्ति क्या कहलाती हैं, उसको परिभाषित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी नं 2 का निस्तारण भी वादी के पक्ष में किया गया हैं, वह भी विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि जब पुश्तैनी सम्पत्ति का कन्सेप्ट प्रोपर तय होगा, उसके उपरान्त ही किसका राईट बनता हैं, किसका राईट नहीं बनता हैं, अभिनिर्धारित होगा, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पिक एण्ड चूज करते हुए तनकी का निर्धारण किया गया हैं, जो विधि सम्मत

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

नहीं हैं। इस कारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/07/2024 अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी नं. 3 व 4 भी जिस प्रकार से अभिनिर्धारित की गई हैं, वह विधि विरूद्ध हैं। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/07/2024 अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिनांक 05/07/2024 पारित किया गया हैं वह विधि के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध हैं, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 225 आर. टी. एक्ट को पढ़ने और उस पर समझने में काफी त्रुटि की हैं, और इस बात को समझने और प्रस्तुत प्रकरण में एप्लाई करने में कानूनी त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05/07/2024 आर्बीट्रेरी, केप्रिशियस, परवर्स होने के कारण अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन व विवेचन कर्सरी मेनर में करते हुए निर्णय दिनांक 05/07/2024 पारित किया गया हैं, इस कारण अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05/07/2024 विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परदादा कृष्णचन्द की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तकरण संख्या 425 के द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा शंकरलाल के खाते दर्ज हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता हेमनारायण पुत्र शंकरलाल है जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/12 हिस्सा निहित है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने निहित हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जिम्मे कायम की गई तनकीयात को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2024 पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम देवली तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 202/1105, 467, 493, 496, 631, 632, 910, 913/1106, 1068/1107 कुल किता 9 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर भूमि को स्वयं की पुश्तैनी सम्पत्ति होना बताकर घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा है। जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम देवली तहसील कनवास की खाता संख्या 300 की किता 9 रकबा 5.04 हैक्टेयर भूमि शंकरलाल पुत्र कृष्णचंन्द की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं खातेदार शंकरलाल का आपस में दादा–पोते का सम्बंध है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाबालिग है तथा अपने दादा के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट शंकरलाल का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि है जो उसे रिलीज डीड एवं खाता विभाजन से प्राप्त हुई है। अपीलांट ने रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 21.12.2012 की फोटोप्रति पेश की है जिसमें वादग्रस्त भूमि रिलीजकर्तागण संतोष बाई, कमला बाई, मनभर बाई, रूकमणी बाई, मांगीबाई के द्वारा प्रहलाद, शंकरलाल एवं बनवारीलाल के पक्ष में रिलीज किए जाने तथा कब्जा सुपुर्द किए जाने का अंकन है। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 425 की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 05.01.2013 में रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर कृष्णचन्द पुत्र बिशना के स्थान पर सम्पूर्ण खाते की भूमि उसके तीनों पुत्रों प्रहलाद, शंकरलाल, बनवारीलाल के खाते दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। अतः अपीलांट का यह कथन प्रथम दृष्ट्या दस्तोवजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि उसके खाते में रजिस्टर्ड रिलीज डीड के द्वारा दर्ज हुई है। अतः यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि खातेदार अपीलांट शंकरलाल की खातेदारी में दर्ज कुल किता 9 कुल रकबा 5.04 हैक्टेयर भूमि में शंकरलाल को रिलीज डीड दिनांक 21.12.2012 के द्वारा प्राप्त भूमि भी सम्मिलित है। शंकरलाल को रिलीज डीड दिनांक 21.12.2012 के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आ चुका था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिलीज डीड दिनांक 21.12.2012 के द्वारा शंकरलाल को प्राप्त भूमि के सम्बंध में कोई तनकी कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट शंकरलाल को रिलीज डीड से प्राप्त भूमि को भी पुश्तैनी भूमि होना मानकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट शंकरलाल को रिलीज डीड दिनांक 21.12.2012 से प्राप्त हुई भूमि के सम्बंध में हक अधिकारों को लेकर गंभीर प्रश्नगत अंतर्निहित है जिन पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत की किसी

न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में उत्तराधिकार के आधार पर वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निहित है जिन पर उभयपक्षकारान की साक्ष्योपंरात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 02/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2024 निरस्त की जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट शंकरलाल को रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 21.12.2012 से प्राप्त भूमि के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम करें । साथ ही उत्तराधिकार के आधार पर वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के हक अधिकारों के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 27.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा